

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

का0आ0सं0-9/प्रो0-02-03/2018, सा0प्र0.....4063...../पटना-15, दिनांक.....26-3-19

राज्य विभाजन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य में चले गए बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ऐसे कर्मी जिन्हें झारखण्ड राज्य में छठा वेतन पुनरीक्षण लागू होने की तिथि दिनांक- 01.09.2008 के प्रभाव से प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया था, की बिहार राज्य में वापसी के उपरांत उनकी प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि संशोधित नहीं की गई थी। वित्त विभागीय परामर्श के अनुसार दिनांक-14.03.2019 को संपन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में वैसे कर्मियों की प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि उनके विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की तिथि से निम्नवत संशोधित की जाती है:-

सारणी-1

क्र०	नाम/ पदनाम	विभाग का नाम	जन्म तिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	निजी सहायक के पद पर योगदान की तिथि	पूर्व में स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि /वेतनमान	प्रथम वित्तीय उन्नयन की संशोधित तिथि /वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि /वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	श्री विजेंद्र प्रसाद, आस सचिव	पर्यटन विभाग	05.07.1972 31.07.2032	15.07.199 8	01.09.2008 9300- 34800+4800	27.09.2018 लेवल-8
2.	श्री प्रभात कुमार प्रभाकर, निजी सहायक	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (मुख्य सचिव कोषांग)	11.01.1971 31.01.2031	16.07.199 8	01.09.2008 9300- 34800+4800	03.01.2018 लेवल-8	01.09.2018 लेवल-9 (निरस्त)	विभागीय आदेश सं०-16206 दिनांक-12.12.2019 की सारणी क्रमांक-7 द्वारा श्री प्रभात कुमार प्रभाकर, निजी सहायक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग(मुख्य सचिव कोषांग) को दिनांक- 01.09.2018 के प्रभाव से वेतन स्तर- 09 में दिया गया द्वितीय वित्तीय उन्नयन उसी तिथि से रद्द किया जाता है

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/प्रो० -02-03/2018, सा0प्र0.....4063...../पटना-15, दिनांक.....26-3-19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग(मुख्य सचिव कोषांग)/पर्यटन विभाग /कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना एवं महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को
सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।